न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 141/2022 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीनी:–

1.लक्ष्मीदेवी पत्नि दौलतराम,
जाति मेघवाल, निवासी मिठड़ाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.मगाराम पुत्र पूराराम, जाति मेघवाल
निवासी लखा, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर
2.मंगलसिंह 3.तेजसिंह पि.गुणेशसिंह
जातियान पुरोहित, निवासी मिये का तला, तहसील धनाऊ
4.इन्द्रसिंह पुत्र नगसिंह, जाति पुरोहित
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
5.तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

वकील प्रार्थीनी :– श्री पवन धारीवाल

वकील विप्रार्थीगण :– श्री विक्रमसिंह भाटी (विप्रार्थी सं. 04)

निर्णय

दिनांक 03.10.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी लक्ष्मीदेवी पत्नि दौलतराम, जाति मेघवाल, निवासी मिठड़ाऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीनी के क्रयसुदा खातेदारी का खेत मौजा चौहटन, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 772/344 रकबा 30.00 बीघा का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है, मौके पर रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीनी की जोत के चारों ओर के

काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीनी अपनी जोत में आने जाने से बाधित होती है। अतः प्रार्थीनी को विप्रार्थी सं. 01 के खेत खसरा सं. 774/344 रकबा 15.00 बीघा, विप्रार्थी सं. 2 व 3 के खेत खसरा सं. 760/344 रकबा 07.00 बीघा, खसरा सं. 692/344 रकबा 72.04 बीघा, विप्रार्थी सं. 04 के खेत खसरा सं. 781/344 रकबा 24.04 बीघा, विप्रार्थी सं. 05 के खेत खसरा सं. 1731/344 रकबा 10.00 बीघा गै.मु.शमसान, खसरा सं. 752/344 रकबा 125.12 बीघा राजकीय भूमि मौजा चौहटन मे से चल कर डामर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी. नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 से 4 स्वयं उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थीनी ने रास्ते के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। जिस पर विप्रार्थी सं. 2 से 4 व 04 के अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है , अतः तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 4 के वकील उपस्थित । शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 4 के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते है, अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार की तथा रिपोर्ट अनुसार निर्णय करने हेतु सहमति जाहिर की ।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी को रास्ते [illegible] आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए [illegible] विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया [illegible] से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीनी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

उपखण्ड अधिकारी

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	781/344	24.04	बा.सो.	15 फीट	01.09	चौहटन	इन्द्रसिंह पुत्र नगसिंह, कौम राजपुरोहित
2	692/344 760/344	72.04 07.00	बा.सो. बा.सो.	15 फीट 15 फीट	01.06 00.11	चौहटन	मंगलसिंह, तेजसिंह पि. गुणेशसिंह, कौम पुरोहित
3	774/344	15.00	बा.सो.	15 फीट	00.03	चौहटन	मगराम पुत्र पूराराम, कौम मेगवाल, सा.लखा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीनी को खसरा नं. 781/344, 692/344, 760/344, 774/344 के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीनी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकार) प्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीनी द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीनी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार [illegible] हो तो प्रार्थीनी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत [illegible] राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीनी को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया तथा 15 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 03.10.2023 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा किश्तवार मौजा - चौहटन पैमाना 1" = 40 गट्ठा

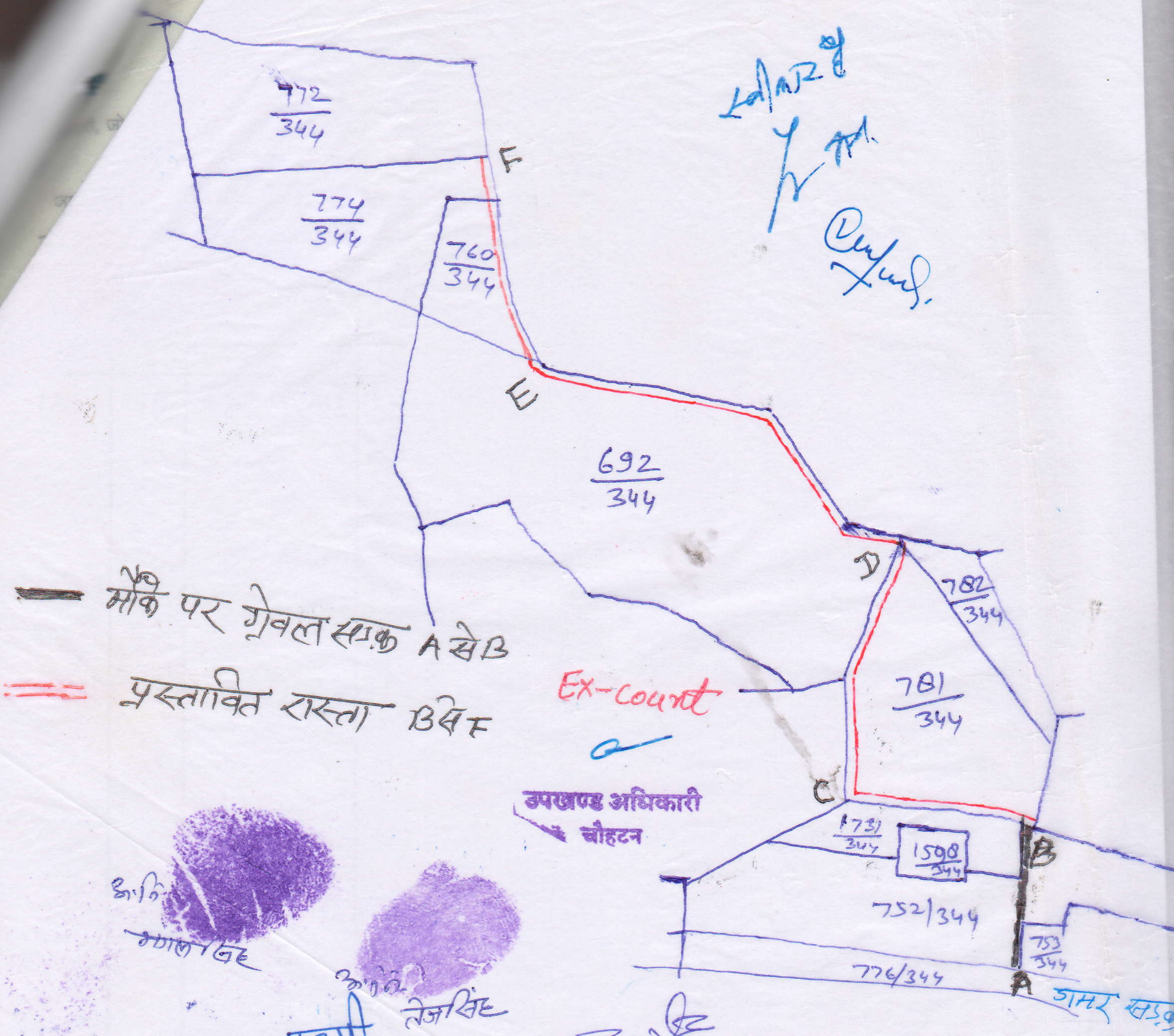

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

28/01/2023
ILR - चौहटन

तहसीलदार चौहटन